न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 444/2017

1. अमोलख पुत्र पोकरराम
2. उंकार पुत्र पोकरराम के कायममुकामान–
   2.1. चौथी पत्नी उंकारराम
   2.2. बालाराम गोदपुत्र उंकारराम
   निवासीगण ओला, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर
   हाल गांव पाबनासर, तहसील फतेहगढ
   जिला जैसलमेर
3. नखता पुत्र पोकरराम
4. मीठू उर्फ मोटूराम पुत्र पोकरराम
   जाति मेघवंशी निवासी ओला, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर
   हाल गांव पाबनासर, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर

अपीलाण्ट्स...

ब ना म

1. राउराम पुत्र दानाराम के कायममुकामान–
   1.1. भूराराम पुत्र राउराम
   1.2. बाबूराम पुत्र राउराम
   1.3. मूलाराम पुत्र राउराम
   1.4. मगाराम पुत्र राउराम
   1.5. धापू पत्नी राउराम
   जाति मेघवाल, निवासी धारवीखुर्द
   तहसील शिव जिला बाडमेर
2. मेहलाराम पुत्र किशनाराम मेघवाल
   निवासी धारवीखुर्द, तहसील शिव
   जिला बाडमेर
3. दीना पुत्र आत्मा मेघवंशी
   निवासी बीसुकलां, तहसील शिव
   जिला बाडमेर
4. जुगता पत्रु भोमा मेघवंशी
   निवासी बीसुकलां, तहसील शिव
   जिला बाडमेर
5. अणदा पुत्र प्रतापा मेघवंशी
   निवासी राजडाल, तहसील शिव
   जिला बाडमेर
6. बगता पुत्र मगा मेघवंशी
   निवासी राजडाल, तहसील शिव

जिला बाडमेर

7. धमा पुत्र लाधा मेघवंशी जरिये कायममुकामान–
   7.1. भगाराम पुत्र धमाराम मेघवशी
   7.2. जुगताराम पुत्र धमाराम मेघवंशी
   निवासीगण राजडाल, तहसील शिव
   जिला बाडमेर
8. पबुसिंह पुत्र खीमसिह
9. हडवंतसिंह पुत्र खीमसिंह
10. दीपसिंह पुत्र गेनसिंह
11. हाकमसिंह पुत्र गेनसिंह
12. हरलाल पुत्र गेनसिंह
13. गेरसिंह पुत्र बगतावरसिंह
    जातियान पुरोहित, निवासीगण धारवीखुर्द
    तहसील शिव, जिला बाडमेर
14. विरधा पुत्र अगरा भील के कायममुकामान–
    14.1. चुतराराम पुत्र विरदाराम
    14.2. शेराराम पुत्र विरदाराम
    14.3. तुलछाराम पुत्र विरदाराम
    14.4. अशोक पुत्र विरदाराम
    14.5. जीवराजराम पुत्र विरदाराम
    14.6. खेताराम पुत्र विरदाराम
    14.7. बबरीदेवी पत्नी विरदाराम
    सभी जाति मेघवंशी, निवासीगण्या धारवीखुर्द
    तहसील शिव जिला बाडमेर
15. नेहचल पुत्र ईशराम मेघवंशी,
    निवासी राजडाल, तहसील शिव
    जिला बाडमेर
16. मांगसिंह पुत्र तोगसिंह पुरोहित,
    निवासी धारवीखुर्द, तहसील शिव
    जिला बाडमेर
17. जोगाराम पुत्र रूपाराम जाट, निवासी खोडाल
18. केसरा पुत्र भीखा जाट निवासी खोडाल
19. लिखमा पुत्र ईशरा मेघवंशी
    निवासी राजडाल, तहसील शिव
    जिला बाडमेर
20. गोविन्दा पुत्र जयराम मेघवंशी जरिये कायममुकामान–
    20.1. कबूडाराम पुत्र गोविन्दराम
    20.2. बांकाराम पुत्र गोविन्दराम

20.3. देवाराम पुत्र गोविन्दराम
20.4. ढेलीदेवी पत्नी गोविन्दराम
सभी जाति मेघवंशी, निवासीगण पुषड
तहसील शिव, जिला बाडमेर
21. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार शिव, जिला बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी शिव दिनांक 20 सितम्बर 2011 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 70/2006

उपस्थित–
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रेखाराम चौधरी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 5
रेस्पो. 21 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 20 अगस्त, 2024

अपीलाण्ट ने उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 70/2006 में पारित आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2011 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील मियादशुमार किये जाने बाबत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम अपील के साथ प्रस्तुत किय गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या एक व दो की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 ग्राम धारवीखुर्द तहसील शिव स्थित आराजी खसरा संख्या 351 की सम्पूर्ण 1392 बीघा 02 भूमि की पैमाईश व आवण्टियों के कब्जे की जांच हेतु पेश किया। जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2011को स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 व 2 की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पोषणीय ही नहीं था क्योंकि उक्त

प्रार्थनापत्र के जरिये खसरा संख्या 351 की भूमि के विभाजन की मांग की गयी, जो अनुतोष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत देय नहीं है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि का कभी कोई विभाजन नहीं हुआ, न ही विभाजन संबंधित कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है। अविभाजित कृषि जोत का विभाजन सभी सहखातेदारान की सहमति से ही किया जा सकता है। मगर विचारण न्यायालय द्वारा इन महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति पर विचार ही नहीं किया गया। अपीलाण्ट्स द्वारा वर्ष 2014 में खसरा संख्या 351 में से अपनी खरीदसुदा 120 बीघा भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र पेश किया गया था, जिसमें पारित आदेश की पालना भी आदिनांक तक नहीं हुई है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार की सूचना अथवा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है जिस कारण विचारण न्यायालय में कार्यवाही अथवा अपीलाधीन आदेश बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलाण्ट्स द्वारा वर्ष 2014 में खसरा संख्या 351 में से अपनी खरीदसुदा 120 बीघा भूमि की पैमाईश एवं पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र बाबत पारित आदेश दिनांक 13 अक्तूबर 2014 की पालना बाबत राजस्व अभियान वर्ष 2016 में अपने गांव में आयोजित कैम्प के दौरान निवेदन किया तो दिनांक 30 जून 2016 को अपीलाण्ट्स को अपीलाधीन आदेश बाबत बताया गया। मगर दिनांक 15 जुलाई 2016 तक अभियान जारी रहने के कारण दिनांक 25 जुलाई 2016 को नकल हेतु आवेदन किया और नकल प्राप्त होने पर दिनांक 27 जुलाई 2016 को विधिवत अपीलाधीन आदेश बाबत जानकारी प्राप्त हुई और जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्यअपील पेश कर दी गया, जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट्स को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने जाहिर किया कि भूमि की अधिकतम् जोत सीमा अधिनियम के तहत खसरा संख्या 351 रकबा 1392 बीघा 02 बिस्वा वाके मौजा धारवीखुर्द में अधिकतम जोत से अधिक 984 बीघा 03 बिस्वा भूमि का राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने बाद प्रार्थीगण–रेस्पो. की खातेदारी में मात्र 407 बीघा 19 बिस्वा भूमि रही, जिसकी पुष्टि प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या एक व दो के नाम जारी पर्चा लगान व चालू चौसाला खतौनी की नकल से होती है। मगर अधिग्रहित भूमि बाबत विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में आवण्टन की कार्यवाही के बाद त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि 407 बीघा 19 बिस्वा की बजाय मात्र 100 बीघा रह गयी और बकाया 307 बीघा 19 बिस्वा भूमि विभिन्न आवण्टियों के पक्ष में तरमीम कर दी गयी। विचारण न्यायालय द्वारा संबंधित नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार न्यायोचित कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधिसम्मतः है। आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद अत्याधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी

प्रकट नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया, अपीलाण्ट की तलबी हेतु जारी नोटिस की विधिवत अपीलाण्ट्स पर सम्यक एवं समुचित तामील नहीं हुई। इस कारण अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को जानकारी नहीं होना स्वभाविक पाया जाता है। अतः विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित बिन्दुओं एवं अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स की बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रार्थीगण–रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का अवलोकन करने से विदित होता है कि उक्त प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण ने मूल खसरा संख्या 351 की सम्पूर्ण भूमि में से राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित किये जाने बाद उनकी खातेदारी में 407 बीघा 19 बिस्वा भूमि रहने की पुष्टि पर्चा लगान एवं चालू जमाबंदी चौसाला से होना अंकित किया गया है, मगर ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं होता है। प्रार्थनापत्र में 407 बीघा 19 बिस्वा भूमि के कोई खसरा नम्बर आदि भी अंकित नहीं किये गये है। जिस मौका फर्द एवं तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित नक्शा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, उन पर सभी पक्षकारान (अपीलाण्ट्स व अन्य संबंधित व्यक्तियों) के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ–निशान भी नहीं है। जिससे सभी संबंधित पक्षकारान की सहमति का अभाव प्रकट होता है। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः नहीं पाये जाने से समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर स्वीकार की जाती है और अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 सितम्बर 2011 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20 अगस्त 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/08/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर